an>

title: Motion to consider the amendments to Income Tax Act, 1961 and the Finance Act, 2016.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Income-tax Act, 1961 and the Finance Act, 2016, be taken into consideration."

माननीय अध्यक्ष जी, 8 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक महत्वपूर्ण घोष्Âणा की थी। वह घोष्Âणा थी कि 8 नवंबर की मध्य रात्रि से बड़े करेंसी नोट 500 या 1000 लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ...(व्यवधान) इसके पीछे उद्देश्य यह था कि इस देश में जो काला धन है, जिसका प्रयोग टैक्स इवेज़न के लिए होता है, भ्रष्Âटाचार में प्रयोग होता है, उस सारे कालेधन को इस देश की राजनीति से, इस देश के आर्थिक जीवन से अलग किया जाए।...(व्यवधान) जिस दिन से यह सरकार बनी है, यह सरकार एक के बाद एक कालेधन के खिलाफ कदम उठाती रही है। 26 मई, 2014 को शपथ ली और 29 मई, 2014 को सरकार का पहला निर्णय था, साढ़े तीन साल से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया जो कालेधन को समाप्त करने के लिए अपनी रिकमेंडेशन दे। ...(व्यवधान) इसके पश्चात् विदेशों में जो काला धन था, उसके संबंध में सरकार ने कड़ी कार्रवाई की, ब्लैक मनी के बारे में कानून लाए, जिसके तहत 60 परसेंट टैक्स देने पर लोगों को अवसर दिया कि टैक्स वापस लाएं। कई लोग काला धन वापस लेकर आए।...(व्यवधान) इसके बाद एचएसबीसी और अन्य लिचेनस्टाइन के खातों में जो काला धन था, उस काले धन के संबंध में जिसके खिलाफ असेसमेंट करना था, जिसके खिलाफ मुकदमा चलाना था, सरकार ने चलाया। ...(व्यवधान) इसके पश्चात् बेनामी संपत्ति को सरकार जब्त कर ले और बेनामी संपत्तियां ट्रांसफर करने वाले लोगों को सजा हो, संसद के माध्यम से एक कानून पारित किया।...(व्यवधान)

सरकार की आईडीएस स्कीम इतिहास में सबसे सफल योजना थी, जिसमें लगभग 70,000 करोड़ रुपए के करीब काला धन उभर कर बाहर आया।...(व्यवधान) इसके बाद भी जब सरकार ने एक नया निर्णय कालेधन के संबंध में किया, 8 नवंबर के बाद यह देखने को मिला कि कई लोग वो करेंसी नोट, जो लीगल टेंडर नहीं थे, को गैर कानूनी तरीके से बदलने का प्रयास कर रहे थे।...(व्यवधान) बाजार की इन हरकतों को देखने के बाद सरकार अपनी योजना के तहत इनकम टैक्स कानून और फाइनेंस बिल में संशोधन लाई। इस संशोधन का आधार यह है कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से इस कालेधन को बदलने के प्रयास में पकड़े जाएंगे, उनके ऊपर 60 परसेंट टैक्स और उसके साथ पैनल्टी के प्रावधान लगेंगे, कुल मिलाकर 85 परसेंट टैक्स और हर्जाना लागू होगा।...(व्यवधान) लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर उस काले धन को बैंक में जमा कराता है और उसे डिसक्लोज करता है तो 50 फीसदी टैक्स लगेगा, इस 50 फीसदी टैक्स में सरचार्ज भी होगा और पैनल्टी भी होगी। इसके अलावा 50 परसेंट बकाया में से 25 परसेंट वापस मिल जाएगा और 25 परसेंट चार साल बाद वापस मिलेगा। ...(व्यवधान) कुल मिलाकर प्रयास होगा कि यह पैसा मुख्यधारा में वापस आ जाए।

केन्द्र सरकार को इससे साधन मिलेंगे, जो आज तक काले धन में छुपे हुए थे। ...(व्यवधान) उन साधनों को गरीब कल्याण कोÂष्Â◌ा के रूप में बनाया जायेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन करने के लिए उस सारे कोÂष्Â◌ा को लगाया जायेगा। ...(व्यवधान) आज अमीरों के पास जो काला धन था, वह गरीब के हित में प्रयोग होगा, यह इस कानून का उद्देश्य है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन से गुजारिश करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाये। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: There will be no discussion.

...(*Interruptions*)